

अनुसंधान प्रश्न

“क्या भारत में एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलना कानूनी है, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और उसके नियम खुदरा बिक्री मूल्य के बारे में क्या कहते हैं, क्या रेस्तरां और सिनेमा को छूट है, और ज्यादा वसूली पर क्या जुर्माना और उपभोक्ता उपाय हैं?”

क्या भारत में विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत पैकेज्ड वस्तुओं पर एमआरपी से अधिक मूल्य वसूलना गैर-कानूनी है, और क्या होटलों, रेस्तरांओं तथा सिनेमाघरों को इस नियम से छूट प्राप्त है?

सारांश

भारत में सामान्य खुदरा व्यापार में विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 18(1) और पैकेज्ड कमोडिटीज नियम, 2011 के नियम 18(2) के तहत किसी भी पैकेज्ड वस्तु को उसके घोषित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक कीमत पर बेचना सख्त प्रतिबंधित है, जिसका उल्लंघन धारा 36(1) के तहत दंडनीय है। हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *Federation of Hotel and Restaurant Associations of India (FHRAI) v. Union of India* (2018) में यह सुस्थापित सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि होटलों और रेस्तरांओं में ग्राहकों को भोजन और पेय पदार्थ परोसना एक 'मिश्रित सेवा' (composite service) है जिसमें सेवा का तत्व प्रधान होता है; अतः इन प्रतिष्ठानों पर एमआरपी से अधिक मूल्य वसूलने पर कोई कानूनी रोक नहीं है। यही छूट क्लबों और बारों पर भी लागू होती है, लेकिन मल्टीप्लेक्सों और रेस्तरांओं द्वारा बाहरी कंपनियों के प्री-पैकेज्ड उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचते समय एमआरपी नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

सत्यापित मुकदमे	संविधियाँ	नवीनतम निर्णय
16	2	2025
14 उच्च न्यायालय • 2 सर्वोच्च न्यायालय		High Court of Uttarakhand

विषय-सूची

I. विस्तृत विश्लेषण	2
II. सांविधिक प्रावधान	4
III. चर्चित मुकदमे	5
IV. मुकदमे का विवरण	7

Vitark AI द्वारा तैयार • अत्यंत गोपनीय • उपयोग से पहले उद्धरण सत्यापित करें

I. विस्तृत विश्लेषण

मुख्य सिद्धांत

01 एमआरपी से अधिक बिक्री पर सामान्य प्रतिबंध

विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के नियम 18(2) के तहत कोई भी खुदरा विक्रेता पैकेज्ड वस्तुओं को अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक पर नहीं बेच सकता। इसे विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 18(1) के तहत विनियमित किया जाता है और उल्लंघन होने पर धारा 36(1) के तहत सख्त दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान है, *Samsung India Electronics Pvt. Ltd. v. State of Karnataka* (2023)।

02 मिश्रित सेवा बनाम खुदरा बिक्री का सिद्धांत

होटलों और रेस्तरांओं में ग्राहकों को भोजन या पानी परोसना मात्र एक भौतिक वस्तु की 'बिक्री' नहीं है, बल्कि यह परिवेश, बैठने की व्यवस्था और व्यक्तिगत सेवा का एक अविभाज्य मिश्रण है। चूंकि यहाँ सेवा तत्व प्रधान है, इसलिए ये प्रतिष्ठान एमआरपी से अधिक मूल्य वसूलने के लिए स्वतंत्र हैं, *Radhika Shastri v. State of Uttarakhand* (2025)।

03 ई-कॉमर्स और रेस्तरांओं पर लागू सीमाएँ

रेस्तरां केवल उन्हीं वस्तुओं पर छूट पा सकते हैं जो उनकी अपनी रसोई में तैयार और पैक की गई हों। यदि कोई रेस्तरां श्रृंखला बाहरी कंपनियों द्वारा पहले से पैक किए गए उत्पादों (जैसे शीतल पेय की बोतलों) को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचती है, तो उसे नियम 6(10) के तहत एमआरपी प्रदर्शित करना ही होगा, *Yum Restaurants India Private Ltd. v. State of U.P.* (2024)।

04 मल्टीप्लेक्स में गैर-पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की स्थिति

सिनेमाघरों या मल्टीप्लेक्स के काउंटरों पर सीधे तैयार और खुले रूप में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों (जैसे खुले पॉपकॉर्न या शीतल पेय) पर विधिक माप विज्ञान के पैकेजिंग नियम और एमआरपी सीमाएं लागू नहीं होतीं, *Multiplex Association of India v. Controller of Legal Metrology* (2018)।

न्यायालयों ने इसे कैसे लागू किया

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक रूप से *Northern India Caterers (India) Ltd. v. Lt. Governor of Delhi* (1979) में स्पष्ट किया था कि रेस्तरां में बैठकर भोजन करने वाले ग्राहक को भोजन घर ले जाने का अधिकार नहीं होता, बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य वहां की सेवाओं का लाभ उठाना होता है। इसी आधार पर न्यायालयों ने माना कि होटल और रेस्तरां विधिक माप विज्ञान कानून के तहत एमआरपी अनुपालन से पूरी तरह मुक्त हैं।

उच्च न्यायालयों का दृष्टिकोण

विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इस छूट के दायरे को और स्पष्ट किया है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने *M/s. Hotel Ramada v. State of Andhra Pradesh* (2021) में और दिल्ली उच्च न्यायालय ने *Bharat Hotels Limited v. Union of India* (2018) में माना कि एमआरपी से अधिक मूल्य पर मिनरल वाटर बेचने के लिए होटलों के खिलाफ दंडात्मक या जब्ती की कार्रवाई करना पूरी तरह से अवैध है। इसके अतिरिक्त, केरल उच्च न्यायालय ने *Hotel Savoy Bar v. State of Kerala* (2016) में इस छूट को बार में परोसी जाने वाली बीयर तक और दिल्ली उच्च न्यायालय ने *Delhi Gymkhana Club Limited v. Union of India* (2009) में इसे निजी क्लबों की सेवाओं तक विस्तारित किया।

अनिर्णीत क्षेत्र या चेतावनियाँ

प्रक्रियात्मक अवैधता और अपील का अधिकार

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने *Gopalkumar Narnaji Prajapat v. State of Karnataka* (2023) और *Kannayyalala Giriya v. Karnataka Government* (2022) में यह स्पष्ट विधिक सिद्धांत स्थापित किया है कि विधिक माप विज्ञान विभाग कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद, जवाब पर औपचारिक/लिखित आदेश पारित किए बिना सीधे आपराधिक शिकायत दर्ज नहीं करा सकता। ऐसा करना आरोपी के धारा 50 के तहत अपील करने के अधिकार को छीन लेता है और पूरी कार्यवाही को अमान्य कर देता है।

संज्ञान लेने की समय सीमा (Limitation Period)

ITC Limited v. State of Madhya Pradesh (2019) में यह चेतावनी दी गई है कि विधिक माप विज्ञान के तहत केवल जुर्मनि से दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लेने की कानूनी मियाद अपराध की तिथि से केवल 6 महीने है (CrPC की धारा 468 के तहत)। इसके बाद बिना देरी माफी के दायर की गई शिकायतें तकनीकी आधार पर खारिज होने योग्य हैं।

II. सांविधिक प्रावधान 2 प्रावधान

SECTION 18, LEGAL METROLOGY ACT, 2009 — DECLARATIONS ON PREPACKAGED COMMODITIES

यह धारा यह अनिवार्य बनाती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पूर्व-पैकेज्ड (pre-packaged) वस्तु का निर्माण, पैकिंग, बिक्री, आयात, वितरण या प्रदर्शन तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह पैकेज निर्धारित मानक मात्रा में न हो और उस पर खुदरा बिक्री मूल्य (MRP) सहित अन्य सभी निर्धारित घोषणाएं स्पष्ट रूप से अंकित न हों।

"(1) No person shall manufacture, pack, sell, import, distribute, deliver, offer, expose or possess for sale any pre-packaged commodity unless such package is in such standard quantities or number and bears thereon such declarations and particulars in such manner as may be prescribed. (2) Any advertisement mentioning the retail sale price of a pre-packaged commodity shall contain a declaration as to the net quantity or number of the commodity contained in the package in such form and manner as may be prescribed." उद्धृत: ITC Limited v. State of Madhya Pradesh

SECTION 34, LEGAL METROLOGY ACT, 2009 — PENALTY FOR SALE OR DELIVERY OF COMMODITIES BY NON-STANDARD WEIGHT OR MEASURE

यह धारा किसी भी वस्तु की गैर-मानक वजन, माप या संख्या के माध्यम से बिक्री या वितरण करने पर भारी आर्थिक जुर्माने का प्रावधान करती है, जिसमें बार-बार अपराध करने पर जुर्माने की राशि उत्तरोत्तर बढ़ जाती है।

"Whoever sells, or causes to be sold, delivers, or causes to be delivered, any commodity, article or thing by any means other than the standard weight or measure or number, shall be punished with fine which may extend to twenty-five thousand rupees and for the second offence with fine which may extend to fifty thousand rupees and for the third and subsequent offence, with fine which may extend to one lakh rupees."

III. चर्चित मुकदमे

16 मुकदमे • सारणी

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
01	<i>Radhika Shastry v. State of Uttarakhand</i> UKHC010207212019	HIGH COURT OF UTTARAKHAND	2025	होटलों और रेस्तरांओं को मिश्रित सेवा प्रदान करने के कारण एमआरपी अनुपालन से छूट है।
02	<i>Yum Restaurants India Private Ltd. v. State of U.P.</i> UPHC020852012023	ALLAHABAD HIGH COURT	2024	रेस्तरां बाहर से खरीदे पैकेज्ड पेय पदार्थों को ई-कॉमर्स पर बेचने पर छूट नहीं पा सकते।
03	<i>Gopalkumar Narnaji Prajapat v. State of Karnataka</i> KAHC020141012023	HIGH COURT OF KARNATAKA	2023	औपचारिक आदेश के बिना सीधे आपराधिक शिकायत दर्ज करना अपील के अधिकार को बाधित करता है।
04	<i>Samsung India Electronics Pvt. Ltd. v. State of Karnataka</i> KAHC010466662017	HIGH COURT OF KARNATAKA	2023	पैकेज्ड माल की एमआरपी पैकेज्ड कमोडिटीज नियम, 2011 के तहत विनियमित होती है।
05	<i>Kannayyalala Giriya v. Karnataka Government</i> KAHC020113652022	HIGH COURT OF KARNATAKA	2022	कारण बताओ नोटिस के बाद औपचारिक आदेश पारित किए बिना आपराधिक मुकदमा चलाना अवैध है।
06	<i>Daniel Norbert Babalaski v. State of Karnataka</i> KAHC010424792017	HIGH COURT OF KARNATAKA	2022	मानक इकाई घोषणा के बिना पैकेज्ड वस्तुएं बेचने पर धारा 36(1) के तहत मुकदमा।
07	<i>M/s. Hotel Ramada v. State of Andhra Pradesh</i> APHC010935102017	HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH	2021	होटल और रेस्तरां द्वारा एमआरपी से अधिक मूल्य वसूलने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम लागू नहीं।
08	<i>ITC Limited v. State of Madhya Pradesh</i> MPHC020021292014	HIGH COURT OF MADHYA PRADESH	2019	केवल जुर्मनि से दंडनीय विधिक माप विज्ञान अपराधों के लिए संज्ञान की सीमा 6 महीने है।
09	<i>Bharat Hotels Limited v. Union of India</i> DLHC014293572017	HIGH COURT OF DELHI	2018	होटलों में पैकेज्ड पानी को एमआरपी से अधिक बेचने पर दंडात्मक कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा निषिद्ध।
10	<i>Multiplex Association of India v. Controller of Legal Metrology</i> HBHC010570142018	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2018	मल्टीप्लेक्स में बिकने वाले गैर-पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर पैकेज्ड कमोडिटीज नियम लागू नहीं होते।
11	<i>Hotel Savoy Bar v. State of Kerala</i> KLHC010165042013	HIGH COURT OF KERALA	2016	होटल बार में ग्राहकों को शराब/बीयर परोसना 'सेवा का अनुबंध' है, खुदरा बिक्री नहीं।
12	<i>IMS Mercantiles Pvt. Ltd. v. Union of India</i> DLHC011216042014	HIGH COURT OF DELHI	2015	पैकेज पर एमआरपी के साथ मुद्रा प्रतीक न लिखना विधिक माप विज्ञान नियमों का उल्लंघन है।
13	<i>M/s Procter and Gamble Home Products Limited v. State of Goa</i> HCBM050001272013	BOMBAY HIGH COURT	2013	विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत निर्माताओं को उत्पादों के लिए मानक पैकेज आकारों का पालन करना अनिवार्य है।

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
14	<i>Delhi Gymkhana Club Limited v. Union of India</i> DLHC010673142006	HIGH COURT OF DELHI	2009	क्लबों द्वारा भोजन और पेय पदार्थों की आपूर्ति 'खुदरा बिक्री' नहीं बल्कि मिश्रित सेवा है।
15	<i>Jayanti Food Processing (P) Ltd. v. Commissioner of Central Excise, Rajasthan</i> ESCR010012442007	SUPREME COURT OF INDIA	2007	उत्पाद शुल्क मूल्यांकन के लिए पैकेज्ड माल पर एमआरपी मुद्रण की कानूनी अनिवार्यता आवश्यक है।
16	<i>Northern India Caterers (India) Ltd. v. Lt. Governor of Delhi</i> ESCR010001771980	SUPREME COURT OF INDIA	1979	रेस्तरां में भोजन परोसना मुख्य रूप से व्यक्तिगत सेवा का अनुबंध है, न कि मात्र बिक्री।

IV. मुकदमे का विवरण 16 केस फ़ाइलें

01 Radhika Shastry v. State of Uttarakhand

HIGH COURT OF UTTARAKHAND • 2025-05-16 • C482/2883/2019

यह मामला Legal Metrology Act, 2009 और Packaged Commodities Rules, 2011 के तहत एक रिज़ॉर्ट रेस्तरां में Maximum Retail Price (MRP) से अधिक कीमत पर पेय पदार्थ बेचने के आरोपों से संबंधित है। आवेदकों (जो कंपनी के निदेशक हैं) ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने तर्क दिया कि होटल और रेस्तरां सेवाओं में की गई बिक्री composite service का हिस्सा होती है, और उन पर यह अधिनियम लागू नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा बिना उचित न्यायिक विवेक के समनिंग आदेश जारी किया गया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और इन याचिकाओं पर निर्णय सुरक्षित रखा है।

निर्णय उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि होटल, रिसॉर्ट और रेस्तरां जैसे प्रतिष्ठानों पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। न्यायालय ने माना कि इन प्रतिष्ठानों में भोजन और पेय पदार्थों की पेशकश एक मिश्रित सेवा है, जहां सेवा तत्व प्रमुख होता है, और यह संविदात्मक सेवा का एक अविभाज्य हिस्सा है।

“The foundational premise of the applicants’ case rests on the settled legal position that the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (LM Act) and the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 (Rules) do not apply to establishments such as hotels, resorts, and restaurants. The Hon’ble Supreme Court in Federation of Hotels and Restaurants Association of India vs. Union of India (2018) 2 SCC 97 has unequivocally held that the offer of food and beverages in such establishments constitutes a composite service, wherein the service element predominates, and thus falls outside the purview of the LM Act.”

HIGH COURT OF UTTARAKHAND • 2025

स्रोत UKHC010207212019

02 Yum Restaurants India Private Ltd. v. State of U.P.

ALLAHABAD HIGH COURT • 2024-03-06 • /11831/2023

यह मामला Legal Metrology Act, 2009 और Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 के उल्लंघन से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने एक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समनिंग आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन पर अपनी वेबसाइट पर प्री-पैकड पेय पदार्थों (Beverages Pepsi Pet) की मात्रा और M.R.P. प्रदर्शित न करने का आरोप था। न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई Rule 26(b) के तहत छूट केवल उन खाद्य पदार्थों पर लागू होती है जो रेस्तरां के किचन में तैयार किए जाते हैं, न कि बाहर से खरीदे गए पहले से पैक उत्पादों पर। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचे जाने वाले इन उत्पादों पर Rule 6(10) के तहत विवरण देना अनिवार्य था, और तदनुसार याचिका को खारिज कर दिया।

निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पैकेज्ड कमोडिटीज नियम, 2011 के नियम 26 के तहत दी गई छूट उन पेय पदार्थों पर लागू नहीं होती जो पहले से पैकेज्ड रूप में किसी अन्य कंपनी द्वारा निर्मित हैं। यदि ऐसे उत्पादों को ई-कॉमर्स के माध्यम से बेचा जा रहा है, तो नियम 6(10) के तहत उनके विवरण और एमआरपी की घोषणा प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

“it is evident that exemption clause of Rule 26 of P.C. Rules is not applicable in the present case because 'beverages pepsi pet' is not being packed in the kitchen of the applicant but it is already a packed product manufacture by any other company, hence, clarification of Department of Consumer Affairs dated 15.09.2015 is also not applicable. ... It was obligatory on the part of applicant to comply Rule 6 (10) of Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 by giving details of the quantity as well as M.R.P. of the product which is not packed in the kitchen...”

ALLAHABAD HIGH COURT • 2024

स्रोत UPHC020852012023

03 Gopalkumar Narnaji Prajapat v. State of Karnataka

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2023-09-05 • CRL.P/102052/2023

यह मामला Legal Metrology Act, 2009 के तहत दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं पर आरोप था कि उन्होंने उत्पादों पर उचित जानकारी प्रदर्शित नहीं की, जो अधिनियम की धारा 18(1) और 36(1) के उल्लंघन के समान है। न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी (State) ने याचिकाकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद, उनका जवाब प्राप्त होने पर कोई लिखित आदेश पारित नहीं किया। न्यायालय ने स्थापित कानूनी सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि जब तक संबंधित प्राधिकारी कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं करते, तक तक याचिकाकर्ताओं को धारा 50 के तहत अपील का अधिकार प्राप्त नहीं होता। प्रक्रियात्मक चूक के कारण, उच्च न्यायालय ने लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने प्रक्रियात्मक नियमों की व्याख्या करते हुए माना कि यदि कोई प्राधिकारी अधिनियम की धारा 27 से 39 के तहत कथित अपराधों के लिए कारण बताओ नोटिस का जवाब मिलने पर कोई स्पष्ट लिखित आदेश पारित नहीं करता और सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक मुकदमा शुरू करता है, तो यह धारा 48 और धारा 50 के तहत वैधानिक उपचारों को निष्प्रभावी कर देता है।

“In terms of sub clause (1) of section 50, remedy of appeal is also available to an offender from any decision taken on the reply for the offences punishable under Section 27 to 39 of the Act. As stated hereinabove, the alleged offence is under Section 31 and 36 of the Act and the aforesaid remedies are available to the petitioners. The respondent without passing an order straight away registers a complaint setting the criminal law into motion.”

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2023

स्रोत KAHC020141012023

04 Samsung India Electronics Pvt. Ltd. v. State of Karnataka

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2023-05-31 • CRL.P/9771/2017

यह मामला Legal Metrology Act, 2009 के तहत दर्ज एक शिकायत को रद्द करने से संबंधित है। प्रतिवादी ने Samsung India Electronics Pvt. Ltd. पर एमआरपी (MRP) घोषित करने में त्रुटि और थोक पैकेज पर मात्रा दर्शाने के लिए 'N' प्रतीक का उपयोग न करने का आरोप लगाया था। न्यायालय ने पाया कि एमआरपी के नियम Numeration Rules, 2011 के बजाय Packaged Commodities Rules, 2011 के तहत आते हैं। साथ ही, थोक पैकेजों के लिए 'N' प्रतीक की अनिवार्यता का नियम लागू नहीं होता। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि शिकायत आधारहीन थी और कानून की गलत व्याख्या पर आधारित थी, इसलिए पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया।

निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना कि पैकेज्ड वस्तुओं की एमआरपी विधिक माप विज्ञान (न्यूमरेशन) नियम, 2011 के बजाय विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के नियम 2(m) के तहत विनियमित होती है। न्यूमरेशन नियमों के तहत एमआरपी के संबंध में अभियोजन शुरू करना कानून की गलत व्याख्या है।

"Rule 4(2) of Numeration Rules does not apply for price/MRP and therefore, no offence is made out as there is no violation of Section 11 read with Section 29 of Metrology Act, 2009. The price/MRP of packaged goods is regulated under Packaged Commodities Rules, 2011 and Rule 2(m) of the said Packaged Commodities Rules is a relevant Rule which would govern the price of packaged goods which reads as under: \"2(m). \"retail sale price\" means the maximum price at which the commodity in packaged form may be sold to the consumer inclusive of all taxes.\""

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2023

स्रोत KAHC010466662017

05 Kannayyalala Giriya v. Karnataka Government

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2022-10-31 • CRL.P/102378/2022

यह मामला Legal Metrology Act, 2009 के तहत Air Conditioner मशीनों की पैकिंग पर जानकारी प्रदर्शित न करने के आरोपों से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि संबंधित अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस (show cause notice) जारी करने के बाद कोई विधिवत आदेश पारित नहीं किया, जिससे उन्हें Section 50 के तहत अपील का कानूनी अधिकार नहीं मिला। न्यायालय ने पिछले निर्णयों का हवाला देते हुए माना कि कानून के तहत किसी भी आदेश के बिना सीधे आपराधिक शिकायत दर्ज करना अपील के अधिकार को निष्प्रभावी कर देता है। न्यायालय ने आदेश दिया कि अधिकारी को पहले जवाब पर विचार करते हुए लिखित आदेश पारित करना चाहिए था। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया और ज़ब्त की गई मशीनों को वापस करने का निर्देश दिया।

निर्णय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा आरोपी को बिना सुने या कारण बताओ नोटिस का लिखित आदेश पारित किए सीधे आपराधिक शिकायत दर्ज करना अभियुक्त के धारा 48 (शमन) और 50 (अपील) के वैधानिक अधिकारों को छीन लेता है, जिससे ऐसी कार्यवाही अवैध हो जाती है।

"By the act of the respondent in registering the criminal case without passing an order under the provision of law, aforequoted i.e., section 48 and 50 are rendered nugatory. The right of the petitioners are taken away by such act of the respondent... Compounding of offences is a remedy that is available once offences punishable under Sections 27 to 39 of the Act are alleged against any accused."

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2022

स्रोत KAHC020113652022

06 Daniel Norbert Babalaski v. State of Karnataka

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2022-11-23 • CRL.P/7374/2017

यह मामला 'Bella' बेबी डायपर के निर्माण और बिक्री से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं पर आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा बेचे जाने वाले पैकेटों पर 'net quantity' को मानक इकाइयों में सही ढंग से अंकित नहीं किया गया था, जो Legal Metrology (Packaged Commodities) Rule 2011 के Rule 6(1)(c) का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे दोषी नहीं हैं और उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ साक्ष्य मौजूद हैं और यह निर्धारित करना कि वे दोषी हैं या नहीं, निचली अदालत में ट्रायल का विषय है। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने Section 482 of Cr.P.C के तहत याचिका खारिज कर दिया और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पैकेज्ड वस्तुओं पर मानक इकाइयों की घोषणा के बिना बिक्री करना अधिनियम की धारा 18(1) का स्पष्ट उल्लंघन है, जो धारा 36(1) के तहत दंडनीय है। यदि प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं, तो आपराधिक कार्यवाही को धारा 482 CrPC के तहत रद्द नहीं किया जाएगा।

“No person shall manufacture, pack, sell, import, distribute, deliver, offer, expose or possess for sale any pre-packaged commodity unless such package is in such standard quantities or number and bears thereon such declarations and particulars in such manner as may be prescribed. 36(1) Penalty for selling, etc., of non-standard packages... pre-packaged commodity which does not conform to the declarations on the package as provided in this Act, shall be punished with fine...”

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2022

स्रोत KAHC010424792017

07 M/s. Hotel Ramada v. State of Andhra Pradesh

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2021-09-01 • WP/41495/2017

यह मामला होटलों और रेस्तरां द्वारा MRP से अधिक कीमत पर बोटलबंद पानी बेचने के संबंध में कानूनी मेट्रोलॉजी अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई को चुनौती देने के बारे में था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि Legal Metrology Act, 2009 के प्रावधान उन पर लागू नहीं होते क्योंकि वे केवल भोजन और पेय पदार्थ की सेवा प्रदान करते हैं, जो 'बिक्री' (sale) की परिभाषा में नहीं आता। न्यायालय ने Federation of Hotel and Restaurant Associations of India v. Union of India मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए माना कि होटलों और रेस्तरां में परोसे जाने वाले उत्पादों पर MRP के नियम लागू नहीं होते। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने अधिकारियों की कार्रवाई को अवैध घोषित करते हुए इसे रद्द कर दिया।

निर्णय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और उसके नियम होटलों और रेस्तरांओं में दी जाने वाली भोजन और पेय सेवाओं पर लागू नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रकाश में, यहाँ एमआरपी से अधिक मूल्य पर मिनरल वाटर बेचने के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती।

“found that the issue raised in this writ petition is squarely covered by the decision of the Hon’ble Supreme Court in FEDERATION OF HOTEL AND RESTAURANT ASSOCIATIONS OF INDIA V. UNION OF INDIA AND ORS... held that neither the Standards of Weights and Measures Act, 1976 read with the enactment of 1985, nor the Legal Metrology Act, 2009, would apply so as to interdict the sale of mineral water in hotels and restaurants at prices which are above the MRP.”

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2021

स्रोत APHC010935102017

08 ITC Limited v. State of Madhya Pradesh

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH • 2019-04-04 • MCRC/714/2014

यह मामला Criminal Procedure, 1973 की Section 482 के तहत दायर एक याचिका है, जिसमें petitioners ने Legal Metrology Act, 2009 के उल्लंघन के लिए अपने खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। विवादित मुद्दा यह था कि क्या पैकेज पर 'when packed' जैसे अतिरिक्त शब्दों का उपयोग करना उक्त Act और Rules का उल्लंघन है।

निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 468 के तहत, विधिक माप विज्ञान अधिनियम के अंतर्गत केवल जुर्माने से दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लेने की समय सीमा (limitation period) 6 महीने है। मियाद बीत जाने के बाद बिना स्पष्टीकरण के दर्ज शिकायतें कानूनन वर्जित हैं।

“The period of limitation shall be six months, if the offence is punishable with fine only. Thus, it is clear that the complaint has been filed after a period of limitation, which is prescribed as six months and Section 469 (1) of the Code of Criminal Procedure, 1973 clearly creates a bar for taking cognizance of the offence after lapse of period of limitation.”

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH • 2019

स्रोत MPHC020021292014

09 Bharat Hotels Limited v. Union of India

HIGH COURT OF DELHI • 2018-09-05 • W.P.(C)/8095/2017

याचिकाकर्ता, Bharat Hotels Limited, ने Legal Metrology Act, 2009 और Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 के तहत जारी उन सर्कुलरों को चुनौती दी थी जिनके माध्यम से होटलों पर Maximum Retail Price (MRP) से अधिक कीमत पर प्री-पैकेज्ड वस्तुओं की बिक्री के लिए कार्यवाही की जा रही थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने Supreme Court के Federation of Hotel and Restaurant Associations of India v. Union of India मामले में दिए गए निर्णय का अनुसरण करते हुए यह स्पष्ट किया कि Legal Metrology Act के प्रावधान होटलों और रेस्तरांओं में बेचे जाने वाले खनिज जल (mineral water) या अन्य वस्तुओं पर MRP की सीमा लागू नहीं करते हैं। तदनुसार, न्यायालय ने चुनौती दिए गए सर्कुलरों को होटलों के संबंध में निरस्त कर दिया।

निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर यह स्पष्ट किया कि होटलों और रेस्तरांओं के भीतर पैकेज्ड वस्तुओं की एमआरपी से अधिक मूल्य पर बिक्री को रोकने के लिए विभाग द्वारा कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करना अवैध है।

“We are, therefore, of the view that neither the Standards of Weights and Measures Act, 1976 read with the enactment of 1985, or the Legal Metrology Act, 2009, would apply so as to interdict the sale of mineral water in hotels and restaurants at prices which are above the MRP.”

HIGH COURT OF DELHI • 2018

स्रोत DLHC014293572017

10 Multiplex Association of India v. Controller of Legal Metrology

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2018-08-06 • WP/27029/2018

यह मामला मल्टीप्लेक्स में बेचे जाने वाले गैर-पैकेज्ड (unpackaged) खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों पर Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 लागू करने के खिलाफ एक याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ता, जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा ऑपरेटरों का एक संघ है, ने तर्क दिया कि ये नियम केवल 'पूर्व-पैकेज्ड' (pre-packaged) वस्तुओं पर लागू होते हैं, न कि काउंटर पर सीधे तैयार किए गए या खुले बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों पर। उन्होंने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण का हवाला दिया कि ऐसे आइटम Legal Metrology Act, 2009 के दायरे से बाहर हैं। न्यायालय ने इन तर्कों पर विचार करते हुए निर्णय लिया कि क्या राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश, जो इन गैर-पैकेज्ड वस्तुओं के लिए लेबलिंग और वजन की घोषणा को अनिवार्य करते हैं, वैध हैं या नहीं।

निर्णय तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पाया कि पैकेज्ड कमोडिटीज नियम, 2011 की धाराएं कड़ाई से केवल 'पूर्व-पैकेज्ड' उत्पादों के लिए हैं। मल्टीप्लेक्स में canteens/food kiosks द्वारा खुले और गैर-पैकेज्ड बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों पर इसे लागू करना कानूनन असंगत है।

“The petitioner assails order... in relation to non-packaged food items supplied and sold by canteens / food kiosks operated in the Multiple xes which are Members of the petitioner’s Association on the ground that the said orders are illegal, arbitrary, ultra vires and unconstitutional... food items and soft drinks etc., unpackaged package to be sold by weight or volume.”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2018

स्रोत HBHC010570142018

11 Hotel Savoy Bar v. State of Kerala

HIGH COURT OF KERALA • 2016-03-22 • CRL.MC/1267/2013

यह मामला इस कानूनी प्रश्न से संबंधित है कि क्या एक लाइसेंस प्राप्त होटल बार द्वारा ग्राहकों को परोसी गई बीयर के लिए MRP से अधिक शुल्क लेना Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि बार में शराब परोसना एक 'सेवा अनुबंध' (contract of service) है, न कि 'खुदरा बिक्री' (retail sale), क्योंकि इसमें वातावरण, सेवा और अन्य सुविधाएं शामिल होती हैं। न्यायालय ने माना कि FL3 लाइसेंस के तहत होटल बार का संचालन और वहां शराब परोसना खुदरा बिक्री की परिभाषा में नहीं आता है, क्योंकि यह एक विशिष्ट सेवा का हिस्सा है। तदनुसार, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द कर दिया।

निर्णय केरल उच्च न्यायालय ने माना कि होटल बार में ग्राहकों को शराब या बीयर परोसना 'सेवा का अनुबंध' है, 'खुदरा बिक्री' नहीं। इसलिए, पैकेज्ड कमोडिटीज नियमों का नियम 18(2) (जो खुदरा विक्रेताओं को एमआरपी से अधिक बेचने से रोकता है) बार में दी जाने वाली इस सेवा पर लागू नहीं होता।

“FL3 license under hotel bar and serving of alcohol does not fall within the definition of retail sale as it is a part of specific service contract... Rule 18 unmistakably penalises a retail dealer... from making any sale of a packed commodity at a price exceeding the retail sale price thereof.”

HIGH COURT OF KERALA • 2016

स्रोत KLHC010165042013

12 IMS Mercantiles Pvt. Ltd. v. Union of India

HIGH COURT OF DELHI • 2015-12-11 • W.P.(C)/4784/2014

यह मामला Legal Metrology Act, 2009 के तहत कंपाउंडिंग शुल्क के निर्धारण से संबंधित था। याचिकाकर्ता पर आरोप था कि उसके द्वारा बेचे जा रहे LED flash lights के पैकेटों पर MRP के साथ 'Rs./-' का चिह्न नहीं लगा था। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने इसके लिए 25,000 रुपये का जुर्माना/कंपाउंडिंग शुल्क मांगा, जबकि याचिकाकर्ता का तर्क था कि दिल्ली के स्थानीय नियमों के अनुसार यह शुल्क केवल 2,500 रुपये होना चाहिए। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए नियम (Packaged Commodities Rules) और राज्य के नियम (Delhi Legal Metrology Rules) के बीच स्पष्ट विभाजन है। अदालत ने माना कि कंपाउंडिंग शुल्क का निर्धारण अधिनियम की धारा 48 और संबंधित नियमों के तहत उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किया जाना चाहिए।

निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 18(1), 36(1) और नियम 2(m) के संदर्भ में स्पष्ट किया कि पैकेज्ड उत्पादों पर खुदरा बिक्री मूल्य (MRP) की घोषणा में किसी भी प्रकार का नियम विरुद्ध गैर-अनुपालन दंडात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करता है, और इसमें निर्धारित अर्थ के अनुसार ही घोषणा की जानी चाहिए।

“Rule 6 of the Packaged Commodities Rules provides for the declarations to be made on every package and as per Clause (e) of Rule 6(1), every package shall bear thereon the retail sale price... 'retail sale price' means the maximum price at which the commodity in packaged form may be sold to the ultimate consumer and the price shall be printed on the package... Section 36(1) of the Act whoever manufactures, packs... pre-packaged commodity which does not conform to the declarations... shall be punished with fine...”

HIGH COURT OF DELHI • 2015

स्रोत DLHC011216042014

13 M/s Procter and Gamble Home Products Limited v. State of Goa

BOMBAY HIGH COURT • 2013-01-23 • WP/28/2013

यह मामला Legal Metrology Act, 2009 के तहत पैकेजिंग मानकों के उल्लंघन से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने राज्य अधिकारियों द्वारा उनके उत्पादों को जब्त करने के आदेश को चुनौती दी थी, क्योंकि वे कथित रूप से 'non-standard size' पैकेजों में बेचे जा रहे थे। याचिकाकर्ता का तर्क था कि हालिया संशोधनों के बावजूद उन्हें इन पैकेजों को बेचने की अनुमति प्राप्त थी। न्यायालय ने पाया कि 1 नवंबर 2012 से Rule 5 के पुराने प्रावधानों को हटा दिया गया था, जिसके तहत गैर-मानक पैकेजों पर 'Not a standard pack size' की घोषणा की अनुमति थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Section 18 के साथ पढ़ा जाने पर, अब निर्माता को मानक आकारों का पालन करना अनिवार्य है। तदनुसार, न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया।

निर्णय बम्बई उच्च न्यायालय ने माना कि विधिक माप विज्ञान नियमों के तहत पूर्व-पैकेज्ड वस्तुओं के संबंध में गैर-मानक आकारों की पुरानी रियायतें 1 नवंबर 2012 से पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं। अब उत्पादकों को अधिनियम की धारा 18 के अनुसार मानक पैकेजों और नियत नियमों के तहत ही पैकेजिंग सुनिश्चित करनी होगी।

“Upon conjoint reading of the aforesaid provisions it is apparently clear that concession which is sought to be given by virtue of earlier proviso to Rule 5 was cancelled w.e.f. 1.11.2012. By virtue of deletion of proviso, therefore and upon conjoint reading of Section 18 of the said Act, the net result is that the manufacturer was now not permitted to pack his product in a non standard size package...”

BOMBAY HIGH COURT • 2013

स्रोत HCBM050001272013

14 Delhi Gymkhana Club Limited v. Union of India

HIGH COURT OF DELHI • 2009-04-15 • W.P.(C)/11689/2006

यह मामला Delhi Gymkhana Club द्वारा दायर की गई एक रिट याचिका से संबंधित है। क्लब ने इस तर्क के साथ चुनौती दी थी कि उस पर 'Standards of Weights and Measures Act, 1976' और 'Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) Rules, 1977' लागू नहीं होते क्योंकि वह एक होटल या रेस्टोरेंट के समान है और वह पैकेज्ड वस्तुओं को MRP से अधिक कीमत पर बेचकर कोई व्यावसायिक 'retail sale' नहीं कर रहा है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक सदस्य ने उपभोक्ता मंच (Consumer Dispute Redressal Forum) में शिकायत दर्ज की कि क्लब खाने-पीने की वस्तुओं पर MRP से अधिक शुल्क ले रहा है। न्यायालय ने विभिन्न कानूनी प्रावधानों और 'dealer' की परिभाषा का विश्लेषण किया ताकि यह तय किया जा सके कि क्या क्लब का कृत्य उपभोक्ता कानूनों के दायरे में आता है या नहीं।

निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि होटलों, क्लबों और रेस्तरांओं में पैकेज्ड उत्पादों (जैसे शीतल पेय या बोतल बंद पानी) को खोलकर या उनके साथ अन्य सेवाएं प्रदान कर परोसना शुद्ध खुदरा बिक्री के अंतर्गत नहीं आता। ग्राहक वहां की सुविधाओं और व्यक्तिगत सेवाओं के पूरे परिसर के लिए भुगतान करता है, अतः उन पर एमआरपी की विधिक सीमा बाध्यकारी नहीं है।

“The circular also envisages that the provision of commodities in a pre-packaged form declared on the packet in hotels or restaurants would include the maximum retail price of the commodity and an additional service charge covering the expenditure incurred on provision of other facilities... supply or service of eatables and drinks in hotels and restaurants does not partake of the nature of a 'sale' in common legal parlance.”

HIGH COURT OF DELHI • 2009

स्रोत DLHC010673142006

15 Jayanti Food Processing (P) Ltd. v. Commissioner of Central Excise, Rajasthan

SUPREME COURT OF INDIA • 2007-08-22 • 2007 INSC 854

यह मामला सेंट्रल एक्साइज एक्ट, 1944 की धारा 4A के तहत उत्पाद शुल्क (excise duty) के मूल्यांकन से संबंधित है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि धारा 4A के तहत मूल्यांकन तभी लागू होता है जब वस्तुओं को पैकेज में बेचा जाता है और Standards of Weights and Measures Act तथा उससे संबंधित नियमों के तहत उन पैकेजों पर Maximum Retail Price (MRP) घोषित करना अनिवार्य होता है। यदि कानून के तहत MRP घोषित करने की कोई अनिवार्यता नहीं है, तो धारा 4A लागू नहीं होगी, भले ही निर्माता ने स्वैच्छिक रूप से पैकेज पर मूल्य अंकित किया हो। न्यायालय ने निर्धारित किया कि आइसक्रीम के थोक पैकेज और विशिष्ट वाणिज्यिक बिक्री, जो सीधे उपभोक्ता को नहीं बेची जाती हैं, इस नियम के दायरे में नहीं आतीं।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पैकेज्ड वस्तुओं पर एमआरपी मुद्रित करने की विधिक अनिवार्यता केवल उन्हीं उत्पादों पर लागू होती है जो कानून के तहत सीधे अंतिम उपभोक्ता को खुदरा बिक्री के लिए विनिर्दिष्ट हैं। अन्य व्यावसायिक या थोक बिक्री के संव्यवहारों में, यदि कानून के तहत एमआरपी अनिवार्य नहीं है, तो स्वैच्छिक अंकन कानूनी बाध्यता का निर्माण नहीं करता।

“suggestion therein that the Rules did not apply as the transactions in the sets of telephone instruments was covered under Rule 34 of the SWM (PC) Rules. We do not accept the argument for the simple reason that there does not appear any factual assertion on the part of the Department that the packages contained a declaration that they were specially packed for a particular industry for servicing the same.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2007

स्रोत ESCR010012442007

16 Northern India Caterers (India) Ltd. v. Lt. Governor of Delhi

SUPREME COURT OF INDIA • 1979-12-21 • 1979 INSC 274

यह मामला न्यायालय के पिछले निर्णय के पुनरावलोकन (review) की याचिका से संबंधित था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पूर्व निर्णय में कुछ कानूनी पहलुओं और सामग्री पर विचार नहीं किया गया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Article 137 के तहत पुनरावलोकन का अधिकार केवल तभी उपयोग किया जा सकता है जब निर्णय में कोई स्पष्ट कानूनी त्रुटि हो या कोई नया महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया हो। न्यायालय ने कहा कि केवल मामले की पुनः सुनवाई या कानूनी बहस को दोहराने के लिए निर्णय को नहीं बदला जा सकता। चूंकि पूर्व निर्णय उस समय के तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित था, इसलिए न्यायालय ने पुनरावलोकन की याचिका को खारिज कर दिया और निर्णय की अंतिमता को बनाए रखा।

निर्णय उच्चतम न्यायालय ने माना कि एक रेस्तरां या भोजनालय में बैठकर भोजन करने के संव्यवहार का असली सार मानवीय आवश्यकता की तृप्ति और व्यक्तिगत सेवा है, न कि संपत्ति का सामान्य हस्तांतरण। ग्राहक वहाँ जो मूल्य चुकाता है, वह केवल भोजन के लिए नहीं, बल्कि प्रदान की जाने वाली संपूर्ण व्यक्तिगत सेवाओं और सुविधाओं के लिए होता है।

“The basic assumption was that victuals as such were not sold and the consideration was for the complex of activities which included eating and drinking. On these facts the conclusion arrived at was impeccable... What the customer pays for is a right to satisfy his appetite by the process of destruction. What he thus pays for includes more than the price of the food as such. It includes all that enters into the conception of service...”

SUPREME COURT OF INDIA • 1979

स्रोत ESCR010001771980

अस्वीकरण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।